

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस  
वाद संख्या :- 49/2019

उनवान

1. हजारीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. बोरूराम पुत्र श्री हुक्माराम
3. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हनुमान
4. गंगासाहाय पुत्र श्री सुगाराम

समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी ढबासावाली, तन शाहपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र श्री ओमकार, उम्र-व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी गंगासागर तन चिमनपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

4. हरिराम पुत्र श्री कन्हैयालाल
5. कमली पुत्री श्री कन्हैयालाल
6. प्रेम पुत्री श्री कन्हैयालाल
7. बंशीधर पुत्र श्री हुक्माराम
8. मानाराम पुत्र हुक्माराम
9. मुन्नालाल पुत्र हुक्माराम
10. केसर सिंह पुत्र श्री हनुमान
11. मालीराम पुत्र सुगाराम
12. घीसी देवी पत्नी स्व0 श्री सुगाराम
13. लक्ष्मी देवी पुत्री सुगाराम
14. बद्रीनारायण पुत्र जयनारायण
15. प्रभूदयाल पुत्र जयनारायण ( फौत )  
15/1 धीरसिंह उर्फ चन्द्रभान  
15/2 शिम्भू  
15/3 मोहन  
15/4 सुल्तान  
15/5 हेमाराम  
15/6 रमेश

पि0 प्रभूदयाल

- 15/7 कमली
- 15/8 ललला उर्फ लाली

पुत्रियान प्रभूदयाल

15/9 सूजा देवी पत्नि स्व0 प्रभूदयाल

समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढबासावाली तन शाहपुरा तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 20/2/2023

वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर- 278 रकबा 0.27, 280 रकबा 0.13, 281 रकबा 0.15, 282 रकबा 0.12, 284 रकबा 0.22, 285 रकबा 0.10, 286 रकबा 0.13, 287 रकबा 0.21, 288 रकबा 0.21, 289 रकबा 0.23, 290 रकबा 0.26, 291 रकबा 0.45, 292 रकबा 0.10, 293 रकबा 0.35, 294 रकबा 0.30, 295 रकबा 0.18, 296 रकबा 0.12, 297 रकबा 0.16, 298 रकबा 0.16, 299 रकबा 0.16, 300 रकबा 0.17, 301 रकबा 0.32, 302 रकबा 0.36, 303 रकबा 0.27, 304 रकबा 0.20, 305 रकबा 0.23, 306 रकबा 0.22, 307 रकबा 0.17, 308 रकबा 0.16, 309 रकबा 0.19, 310 रकबा 0.17, 312 रकबा 0.18, 313 रकबा 0.21, 314 रकबा 0.22, 315 रकबा 0.16, कुल किता-36 कुल रकबा 7.36 है0 वाकै

उप खण्ड अधिकारी

ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी सुगाराम पुत्र भंवरा हिस्सा 1/6, बंशीधर, मानाराम, बोदराम, मुन्नालाल पुत्रान हुम्माराम हिस्सा 1/6, हजारीलाल हरिराम पुत्रान कन्हैयालाल, कमली, प्रेमदेवी, आंची, झिमकी पुत्रीयान कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 बदीप्रसाद प्रभुदयाल पुत्रान जयनारायण हिस्सा 1/4, बाबूलाल पुत्र ओमकार हिस्सा 1/8 सुगाराम पुत्र भंवरा उर्फ भोरिया हिस्सा 1/16 हनुमान पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/16 कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है खातेदार सुगाराम पुत्र भोरिया फौत हो चुका है जिसके वारिसान घीसी देवी पत्नी सुगाराम, मालीराम गंगासहाय पुत्रान सुगाराम लक्ष्मी देवी पुत्री सुगाराम का नाम जरिये नामान्तरण सं०-3247 दिनांक 22.03.2018 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा खातेदार हनुमान पुत्र रामनाथ फौत हो चुका है जिसके वारिसान केसर सिंह घनश्याम सिंह है जिन्होंने मृतक हनुमान की चल एवं अचल सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा सह-खातेदार आंची झीमकी पुत्रीयान कन्हैयालाल ने अपने हिस्से का हक त्याग सह-खातेदार हजारीलाल पुत्र कन्हैयालाल के पक्ष में कर दिया है जिसका नामान्तरण सं०-3082 दिनांक 09.03.2017 उक्त हजारीलाल के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। वादपत्र में वर्णित आराजी वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी एवं प्रतिवादी सं०-1 बाबूलाल पुत्र ओमकार की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं०-1 बाबूलाल पुत्र ओमकार का 1/8 हिस्सा तथा शेष हिस्सा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का है तथा वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं०-1 वादपत्र में वर्णित आराजी पर अपने अपने हिस्से अनुसार शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं०-1 के मध्य वाद पत्र में वर्णित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है सभी खातेदारान का आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच पर कब्जा होने की कानूनी अवधारणा है किसी भी सह-खातेदार को वाद पत्र में वर्णित आराजी सह खातेदारी भूमि का बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने व आराजी के विशिष्ट भू-भाग का कब्जा अजनबी व्यक्ति को देने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 312, 313, 314, 315 की भूमि शाहपुरा से जसवंतपुरा गांव को जाने वाली सड़क से लगती हुई है इस कारण उक्त भूमि की कीमत एवं उपयोगिता वाद पत्र में वर्णित अन्य भूमि से ज्यादा है इसी कारण प्रतिवादी सं० 1 ने बदनियतिपूर्वक आराजी खसरा नं० 314 रकबा 0.22 है० भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसका उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कराने पर आमादा है।

वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण प्राथी है कि आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 0.27, 280 रकबा 0.13, 281 रकबा 0.15, 282 रकबा 0.12, 284 रकबा 0.22, 285 रकबा 0.10, 286 रकबा 0.13, 287 रकबा 0.21, 288 रकबा 0.21, 289 रकबा 0.23, 290 रकबा 0.26, 291 रकबा 0.45, 292 रकबा 0.10, 293 रकबा 0.35, 294 रकबा 0.30, 295 रकबा 0.18, 296 रकबा 0.12, 297 रकबा 0.16, 298 रकबा 0.16, 299 रकबा 0.16, 300 रकबा 0.17, 301 रकबा 0.32, 302 रकबा 0.36, 303 रकबा 0.27, 304 रकबा 0.20, 305 रकबा 0.23, 306 रकबा 0.22, 307 रकबा 0.17, 308 रकबा 0.16, 309 रकबा 0.19, 310 रकबा 0.17, 312 रकबा 0.18, 313 रकबा 0.21, 314 रकबा 0.22, 315 रकबा 0.16, कुल किता-36 कुल रकबा 7.36 है० वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रवादी सं० 1 के मध्य बंटवारा करवाया जावे तथा वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा संमलाया जावे तथा उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं० 1 स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 20.2.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक 823 दिनांक 11.3.2022 के द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पेश किये जाने पर वकील वादी के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील वादी को आपत्ति प्रार्थना पत्र पत्र के सन्दर्भ में सुना गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा उनकी बहस पर मनन के बाद तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर बंटवारा प्रस्ताव सही होने से वकील वादी के द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र कुर्रजात रिपोर्ट का खारिज किया जाता है तथा कुर्रजात रिपोर्ट सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार .22, 285 रकबा 0.10, 286 रकबा 0.13, 287 रकबा 0.21, 288 रकबा 0.21, 289 रकबा 0.23, 290 रकबा 0.26, 291 रकबा 0.45, 292 रकबा 0.10, 293 रकबा 0.35, 294 रकबा 0.30, 295 रकबा 0.18, 296 रकबा 0.12, 297 रकबा 0.16, 298 रकबा 0.16, 299 रकबा 0.16, 300 रकबा 0.17, 301 रकबा 0.32, 302 रकबा 0.36, 303 रकबा 0.27, 304 रकबा 0.20, 305 रकबा 0.23, 306 रकबा 0.22, 307 रकबा 0.17, 308 रकबा 0.16, 309 रकबा 0.19, 310 रकबा 0.17, 312 रकबा 0.18, 313 रकबा 0.21, 314 रकबा 0.22, 315 रकबा 0.16, कुल किता-36 कुल रकबा 7.36 है० वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-



जयपुर जिला अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	292/2 297 300 304/2 305 307 308 310 315 कुल किता 9	0.2250 है० 0.16 है०, 0.17 है०, 0.19 है० 0.23 है० 0.17 है० 0.16 है० 0.17 है० 0.16 है० रकबा 1.6350 है०	घीसी देवी पत्नी सुगाराम हि० 1/4, गंगासहाय पुत्र सुगाराम हि० 1/4, मालीराम पुत्र सुगाराम हि० 1/4, लक्ष्मी देवी पुत्री सुगाराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह खातेदार
2	278 287 293/3 295 296 302/3 303 309 312 313 कुल किता 10	0.27 है० 0.21 है० 0.09 है० 0.18 है० 0.12 है० 0.08 है० 0.2550 है० 0.19 है० 0.18 है० 0.21 है० कुल रकबा 1.7850 है०	प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण हि० 1/2, बिना रहन बदीप्रसाद पुत्र जयनारायण हि० 1/2 राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा शाहपुरा मुर्तहीन (बदीप्रसाद का हिस्सा) जाति जाट सा० देह खातेदार
3	280/2 292/2 293/2 कुल किता 3	0.12 है० 0.0850 है० 0.2450 है० कुल रकबा 0.45 है०	हनुमान पुत्र रामनाथ राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाहपुरा जाति जाट सा० देह खातेदार हि० सम्पूर्ण
4	281/2 294/2 302/2 314 कुल किता 4	0.13 है० 0.28 है० 0.26 है० 0.22 है० कुल रकबा 0.89 है०	बबूलाल पुत्र ओमकार हि० सम्पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार
5	282/2 283 284/2 285 286/2 288 289/3 291/2 कुल किता 8	0.10 है० 0.12 है० 0.20 है० 0.10 है० 0.11 है० 0.21 है० 0.12 है० 0.2250 है० कुल रकबा 1.1850 है०	बंशीधर पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, बोदुराम पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, मुन्नालाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, मानाराम पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, जाति जाट सा० देह खातेदार सभी खातेदारों का हिस्सा राहिन आरएमजीबी शाहपुरा मुर्तहीन
6	289/1 290 298 299/2 301/2 306 कुल किता 6	0.09 है० 0.26 है० 0.16 है० 0.14 है० 0.3150 है० 0.22 है० कुल रकबा 1.1850 है०	हजारीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 राहिन आरएमजीबी शाहपुरा मुर्तहीन हरीराम पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार
7	286/1 289/2 280/1 281/1 282/1	0.02 है० 0.02 है० 0.01 है० 0.02 है० 0.02 है०	शामलाती रास्ता मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै०मु०रास्ता रहेगी



उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (अवधपुर) रकबाधाम

284 / 1	0.02 है०	
294 / 1	0.02 है०	
293 / 1	0.0150 है०	
292 / 1	0.0150 है०	
299 / 1	0.02 है०	
301 / 1	0.0050 है०	
302 / 1	0.02 है०	
303 / 1	0.0150 है०	
304 / 1	0.01 है०	
कुल किता 14	कुल रकबा 0.23 है०	

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रजात की रिपोर्ट एवं सलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तहसीलदार शाहपुरा जो पक्षकार फौत हो गये उनके हिस्से में आई भूमि का नियमानुसार उनके विधिक वारीसान के नाम अमल दरामद करेगें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/11/2023 .....को सरे इजलास सुनाया गया।



(-मनमोहन मीना)  
उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्ली  
(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी  
वाद संख्या :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस  
:- 49/2019

उनवान

5. हजारीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
  6. बोराम पुत्र श्री हुक्माराम
  7. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हनुमान
  8. गंगासाहाय पुत्र श्री सुगाराम
- समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी ढबासावाली, तन शाहपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

16. बाबुलाल पुत्र श्री ओमकार, उम्र-व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी गंगासागर तन थिमनपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
18. उप पंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

19. हरिराम पुत्र श्री कन्हैयालाल
20. कमली पुत्री श्री कन्हैयालाल
21. प्रेम पुत्री श्री कन्हैयालाल
22. बंशीधर पुत्र श्री हुक्माराम
23. मानाराम पुत्र हुक्माराम
24. मुन्नालाल पुत्र हुक्माराम
25. कंसर सिंह पुत्र श्री हनुमान
26. मालीराम पुत्र सुगाराम
27. घीसी देवी पत्नी स्व0 श्री सुगाराम
28. लक्ष्मी देवी पुत्री सुगाराम
29. बद्रीनारायण पुत्र जयनारायण
30. प्रभूदयाल पुत्र जयनारायण ( फौत )
  - 15/1 धीरसिंह उर्फ चन्द्रभान
  - 15/2 शिम्भू
  - 15/3 मोहन
  - 15/4 सुल्तान
  - 15/5 हेमाराम
  - 15/6 रमेश
- 15/7 कमली
- 15/8 ललला उर्फ लाली

पि0 प्रभूदयाल

पुत्रियान प्रभूदयाल



15/9 सूजा देवी पत्नि स्व0 प्रभूदयाल  
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढबासावाली तन शाहपुरा तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 20/4/2023

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार .22, 285 रकबा 0.10, 286 रकबा 0.13, 287 रकबा 0.21, 288 रकबा 0.21, 289 रकबा 0.23, 290 रकबा 0.26, 291 रकबा 0.45, 292 रकबा 0.10, 293 रकबा 0.35, 294 रकबा 0.30, 295 रकबा 0.18, 296 रकबा 0.12, 297 रकबा 0.16, 298 रकबा

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

0.16, 299 रकबा 0.16, 300 रकबा 0.17, 301 रकबा 0.32, 302 रकबा 0.36, 303 रकबा 0.27, 304 रकबा 0.20, 305 रकबा 0.23, 306 रकबा 0.22, 307 रकबा 0.17, 308 रकबा 0.16, 309 रकबा 0.19, 310 रकबा 0.17, 312 रकबा 0.18, 313 रकबा 0.21, 314 रकबा 0.22, 315 रकबा 0.16, कुल किता-36 कुल रकबा 7.36 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	292/2 297 300 304/2 305 307 308 310 315 कुल किता 9	0.2250 है0 0.16 है0, 0.17 है0, 0.19 है0 0.23 है0 0.17 है0 0.16 है0 0.17 है0 0.16 है0 कुज रकबा 1.6350 है0	घीसी देवी पत्नी सुगाराम हि० 1/4, गंगासहाय पुत्र सुगाराम हि० 1/4, मालीराम पुत्र सुगाराम हि० 1/4, लक्ष्मी देवी पुत्री सुगाराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह खातेदार.
2	278 287 293/3 295 296 302/3 303 309 312 313 कुल किता 10	0.27 है0 0.21 है0 0.09 है0 0.18 है0 0.12 है0 0.08 है0 0.2550 है0 0.19 है0 0.18 है0 0.21 है0 कुल रकबा 1.7850 है0	प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण हि० 1/2, बिना रहन बंदीप्रसाद पुत्र जयनारायण हि० 1/2 राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा शाहपुरा मुर्तहीन (बंदीप्रसाद का हिस्सा) जाति जाट सा० देह खातेदार
3	280/2 292/2 293/2 कुल किता 3	0.12 है0 0.0850 है0 0.2450 है0 कुल रकबा 0.45 है0	हनुमान पुत्र रामनाथ राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाहपुरा जाति जाट सा० देह खातेदार हि० सम्पूर्ण
4	281/2 294/2 302/2 314 कुल किता 4	0.13 है0 0.28 है0 0.26 है0 0.22 है0 कुल रकबा 0.89 है0	बबूलाल पुत्र ओमकार हि० सम्पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार
5	282/2 283 284/2 285 286/2 288 289/3 291/2 कुल किता 8	0.10 है0 0.12 है0 0.20 है0 0.10 है0 0.11 है0 0.21 है0 0.12 है0 0.2250 है0 कुल रकबा 1.1850 है0	बंशीधर पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, बोटुराम पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, मुन्नालाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, मानाराम पुत्र हुक्माराम हि० 1/4, जाति जाट सा० देह खातेदार सभी खातेदारों का हिस्सा राहिन आरएमजीबी शाहपुरा मुर्तहीन
6	289/1 290 298 299/2 301/2 306 कुल किता 6	0.09 है0 0.26 है0 0.16 है0 0.14 है0 0.3150 है0 0.22 है0 कुल रकबा 1.1850 है0	हजारीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 राहिन आरएमजीबी शाहपुरा मुर्तहीन हरीराम पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार



7	286/1	0.02 है०	शामलाती रास्ता मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै०मु०रास्ता रहेगी
	289/2	0.02 है०	
	280/1	0.03 है०	
	281/1	0.02 है०	
	282/1	0.02 है०	
	284/1	0.02 है०	
	294/1	0.02 है०	
	293/1	0.0150 है०	
	292/1	0.0150 है०	
	299/1	0.04 है०	
	301/1	0.0050 है०	
	302/1	0.02 है०	
	303/1	0.0150 है०	
	304/1	0.02 है०	
	कुल किता 14	कुल रकबा 0.23 है०	

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रजात की रिपोर्ट एवं सलंगन नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने दें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तहसीलदार शाहपुरा जो पक्षकार फौत हो गये उनके हिस्से में आई भूमि का नियमानुसार उनके विधिक वारीसान के नाम अमल दरामद करेंगे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 20/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(मन्मोहन/मीना)  
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	